HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Revision Petition No. 1780/2025

Ravi Saxena S/o Shri Amar Saxena, R/o 214, Kesar Nagar, Mansarovar, Thana Muhana, Jaipur

----Petitioner

Versus

State of Rajasthan through PP

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Deepak Chauhan, Adv.
For Respondent(s)	:	Mr. Sudesh Saini, PP with Mr. Navdeep Singh, AAAG

HON'BLE MR. JUSTICE UMA SHANKER VYAS

Order

01/05/2026

धारा 5 परिसीमा अधिनियम के आवेदन पर सुना गया।

यह निगरानी याचिका कुल 506 दिन के विलम्ब से प्रस्तुत की गई है, यद्यपि बताये गये कारण उचित नहीं है, फिर भी उदारता का रूख अपनाते हुए जो 506 दिन का विलम्ब हुआ है, उसे माफ किया जाता है। इसी अनुसार यह आवेदन स्वीकार कर निस्तारित किया जाता है।

आई.ए. 1/25 निगरानी याचिका में अभियुक्त की उपस्थिति से छूट प्रदान करने हेतु पेश किया गया है, इस पर विस्तृत रूप से आगामी पेशी पर सुना जायेगा, तब तक अभियुक्त चाहे तो समर्पण कर सकता है।

S.B. Criminal Misc. Suspension of Sentence Application No. 443/2025:-

दण्डादेश स्थगन आवेदन पर सुना गया।

अभियुक्त/याची को न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एस.पी.ई. केसेज) जयपुर, जिला–जयपुर द्वारा सेशन प्रकरण संख्या–110/2019 में

पारित निर्णय दिनांक 10.10.2019 के माध्यम से धारा 420, 406 भा.दं.सं.के मामले में दोषसिद्ध करार देते हुए कारावास व अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है, जिसके विरूद्ध प्रस्तुत अपील संख्या 17/2019 न्यायालय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश क्रम–3 जयपुर, जिला–जयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 31.01.2024 के माध्यम से अपील आंशिक रूप से स्वीकार कर अभियुक्त के विरूद्ध धारा 406 भा.दं.सं. के अपराध से दोषमुक्त किया तथा धारा 420 भा.दं.सं. के अपराध में विचारण न्यायालय द्वारा पारित दण्डादेश की पुष्टि की गई तथा तत्समय अभियुक्त अनुपस्थित था, उसके उपरान्त यह निगरानी याचिका प्रस्तुत की गई।

विद्वान अधिवक्ताा याची–अभियुक्त की ओर से S. B. Criminal Revision Petition No. 1221/2025 Mohanlal Vs. State of Rajasthan में पारित निर्णय दिनांक 29.10.2025 तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा SLP (Crl.) Nos. 19025-19027/2025 Sudhir Khaitan Vs. State of Rajasthan & Ors. में पारित आदेश दिनांक 10.04.2026 प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया कि अभियुक्त को समर्पण किये बिना निगरानी याचिका सुनवाई योग्य है अथवा नहीं, यह प्रश्न विचाराधीन है। उपरोक्त परिस्थितियों को देखते हुए ही निगरानी याचिका की पोषणीयता का बिंदु खुला रखा गया है।

उपरोक्त दोनों ही निर्णयों में राजस्थान उच्च न्यायालय नियम 1952 के नियम 323 के पर को विचार या संदर्भ नहीं आया है। चूंकि अभियुक्त द्वारा अभी तक समर्पण नहीं किया गया है, अतः राजस्थान उच्च न्यायालय नियम 1952 के नियम 323 के अनुसार अभियुक्त के समर्पण किये बिना यह दण्डादेश स्थगन आवेदन सुनवाई हेतु स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है, ऐसी स्थिति में यह दण्डादेश स्थगन आवेदन खारिज किया जाता है। भविष्य में यदि अभियुक्त द्वारा समर्पण किया जाता है, तो वह नवीन दण्डादेश स्थगन आवेदन पेश करने हेतु स्वतंत्र होगा।

S.B. Criminal Revision Petition No. 1780/2025:-

चूंकि अभियुक्त द्वारा समर्पण नहीं किया गया है तथा दण्डादेश स्थगित भी नहीं है, अतः ऐसी स्थिति में अभियुक्त को सजा भुगताने हेतु विचारण न्यायालय द्वारा क्या कार्यवाही की गई, इस संबंध में कार्यालय द्वारा इस आदेशिका की प्रति प्रेषित करते हुए तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त की जावे।

प्रकरण चार सप्ताह पश्चात पुनः सूचीबद्ध किया जावे।

(UMA SHANKER VYAS),J

DINESH KUMAWAT /118